जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक : एफ/विकास/2017/429 दिनांक : 16/08/2017

प्रति,

1. प्राचार्य/प्राचार्या
   जीवाजी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
2. विभागाध्यक्ष,
   समस्त अध्ययनशालाएँ,
   जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

विषय :– शिक्षकों की वरिष्ठता सूची 2018 का प्रकाशन।

महोदय/महोदया,

1. विश्वविद्यालय द्वारा परिनियम 19 के अंतर्गत **शिक्षक वरिष्ठता सूची 2018** का प्रकाशन किया जाना है। वर्ष 2017 की वरिष्ठता सूची का कृपया अवलोकन करें। जिन शिक्षकों के नाम गतवर्ष की वरिष्ठता सूची में नहीं थे और जिनकी इस वर्ष नई नियुक्ति हुई है, या जिनका कैडर में परिवर्तन हुआ है, अथवा जो स्थानांतरित होकर या अन्य किसी कारण से आपकी संस्था में वर्ष 2017 में पदस्थ हुये हैं, उनके नाम वरिष्ठता सूची वर्ष 2018 में जोड़ने के लिये संलग्न प्रपत्र प्रतिपूर्ति कर विवरण दिनांक 13.09.2017 तक इस कार्यालय को अग्रेषित करें।
2. संलग्न प्रपत्र पर दी गई जानकारी हेतु साक्ष्य भी संलग्न किये जावें। यदि किसी शिक्षक की नियुक्ति वि0वि0 अध्यादेश 28(17) के अंतर्गत हुई है तो कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रति अवश्य लगायें, तभी संबंधित नाम वरिष्ठता सूची में शामिल किया जा सकेगा। यदि अधूरी जानकारी दी जायेगी तो वरिष्ठता सूची में नाम दर्ज नहीं किया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित की होगी। पूर्व में उक्त आशय की जानकारी यदि वि0वि0 को भेजी गई हो, ऐसे प्रकरणों में भी पुनः जानकारी वरिष्ठता सूची में सम्मिलित हेतु भेजी जाना निवेदित है।
3. पूर्व वर्ष की वरिष्ठता सूची का क्रमांक अवश्य अंकित करें।
4. **गत वर्ष की वरिष्ठता सूची में यदि आपकी संस्था के किसी शिक्षक के कैंडर अथवा नाम में त्रुटि हुई है, तो उसकी सूचना दें तथा शिक्षकों की तत् सम्बंधी आपत्तियों को सप्रमाण सत्यापन कर अग्रेषित करने की व्यवस्था करें।**
5. उन शिक्षकों का विवरण भी साथ में भेजें, जिनके नाम गत वर्ष की सूची में जुड़े हैं और आपकी संस्था से स्थानांतरित हो चुके हैं, सेवानिवृत हो चुके है या अन्य किन्हीं कारणों से अब संस्था में नहीं है। इसके साथ ही नाम व श्रेणी को वरिष्ठता सूची में चैक कर लें। यदि कोई त्रुटि है तो सुधार हेतु आवेदन करें। जानकारी के आभाव में यदि उनका नाम उक्त स्थान पर आने से रह जाता है तो वे इसके लिये स्वयं उत्तरदायी होंगे।
6. शिक्षकों की जन्मतिथि की जानकारी न होने पर वरिष्ठता सूची में नाम दर्ज नहीं किया जावेगा।
7. पत्र की एक प्रति सूचना पटल पर लगायें, जिससे किसी शिक्षक को आपत्ति न रहे।
8. यदि किसी भी महाविद्यालय/अध्ययनशाला के शिक्षक का नाम वरिष्ठता सूची में जुड़ने से रह जाता है तो इसके लिये संबंधित प्राचार्य/विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, ग्वालियर–चम्बल संभाग, मोती महल परिसर, लश्कर (ग्वालियर)।
2. श्री संजय बरतरिया, नोडल ऑफिसर (आई.टी.) पत्र को वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।

उप–कुलसचिव (विकास)

APPLICATION FOR THE INCLUSION IN THE LIST OF PRINCIPAL / PROFESSOR / READER / LECTURER

To,

The Registrar,
Jiwaji University,
Gwalior

Sir,

I request that my name be included in the Seniority List of .... (Designation) particulars of my service are as under:-

1. Name ....
2. Date of Birth (in words) ....
3. Academic Qualification ....
4. Name of the college where presently posted ....
5. Subject ....
6. Date from which present post is held ....
7. Scale of pay in the present post
8. Teaching
   Degree Classes from .... to ....
   Post Graduate Classes from .... to ....
9. Teaching post held (chronologically) prior to appointment/promotion to the present post.

Description of Post	Name of Institution in which post was held	Period		Scale of Pay
		From	To	

(1) A Teacher in service under the M.P. Govt. need not give the name of various colleges to which he was posted in any particular capacity.

(2) Change in the cadre (to Reader, Professor and Principal) and the date of appointment/ promotion in each cadre and the pay scale should be clearly stated.

I declare that the particulars given are correct.

Signature of applicant

Place : ....

Dated : ....

Full Name ....

Designation ....

College/Teaching Department ....

....

LIST OF THE TEACHERS PRESENTLY WORKING IN THIS COLLEGE

(This is to be provided by the principal of the college)

Name of the college ....

S. No.	Name of the teacher	Designation	Date of Birth	Date of joining on present post	If in 28(17) Then provided approval date of E.C.

Date : ....

Signature & Seal of the Principal